

तत्काल

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक:एफ 5-5/2007/1/4

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभगीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- 15 अगस्त 2007 को शासकीय भवनों पर रोशनी किए जाने के सम्बन्ध में ।

15 अगस्त 2007 को एक दिन के लिए प्रदेश में स्थित मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों में ही रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाये । इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से करे ।

आयुक्त
प्रशासन

6/8/07

6/8/07

(डी0एस0राय)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

612
6/8/07

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक-एफ-5/5/2007/1/4
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2007
27

शासन के समस्त विभाग,
भोपाल स्थित समस्त विभागाध्यक्ष,
आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल,
कलेक्टर जिला भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय:- राजधानी भोपाल में 15 अगस्त 2007 को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन ।

राज्य शासन ने 15 अगस्त 2007 को राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस समारोह निम्न अनुसार मनाने का निर्णय लिया है :-

1. भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जायेगा । 15 अगस्त 2007 को सुबह 9.00 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा । तत्पश्चात् पुलिस, एस.ए.एफ. एन.सी.सी. जेल गार्ड्स होम गार्ड्स एवं स्काउट गाईड्स की परेड होगी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया जायेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी राज्य की जनता के नाम संदेश प्रसारित करेंगे ।

2. परेड स्थल पर पुष्पवर्षा का विशेष कार्यक्रम होगा ।

3. मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के अतिरिक्त राजधानी भोपाल में निम्नलिखित आयोजन भी होंगे:-

(1) सभी सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा ।

(2) भोपाल के शासकीय कार्यालयों में समारोह का प्रारम्भ प्रातः 8.00 बजे से पूर्व होगा । विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एकत्रित कर अपने कार्यालय स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और राष्ट्रीय गान गाया जायेगा ।

(3) शिक्षण संस्थाओं में समारोह प्रातः 8.00 बजे या उसके पूर्व आयोजित किया जायेगा । राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही राष्ट्रीय गान का सामूहिक रूप से गायन होगा तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।


(4) शिक्षण संस्थाओं द्वारा मौसम का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र में प्रातः काल प्रभात फेरी का आयोजन किया जायेगा ।

आयुक्त
भोपाल
26/7/07

2613
13/07

ए.के.ए.ए.ए.
भोपाल

- (5) इस अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) का उपयोग किया जाता है तो गानों के रिकार्ड बजाये जाने में गानों का चयन सुरुचिपूर्ण तथा समयोचित हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जायेगा ।
- (6) सांयकाल रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाये ।
- (7) प्रदेश में स्थित मुख्य शासकीय भवनों एवं स्मारको में 15 अगस्त 2007 को रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाये ।
- (8) मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाये एवं उन्हें कार्यस्थल पर लाने की व्यवस्था भी की जाये ।


26/7/2007

(डी०एस०राय)

सचिव


मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल दिनांक 26 जुलाई 2007
27

पृ०क० एफ-5-5/2007/1/4
प्रतिलिपि:

- 1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन भोपाल,
 - 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा भोपाल,
 - 3. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय म०प्र० भोपाल,
 - 4. सचिव, मानव अधिकार/राज्य निर्वाचन/अल्पसंख्यक आयोग भोपाल,
 - 5. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल,
 - 6. रोजनल मैनेजर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, भोपाल,
 - 7. स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी भोपाल,
 - 8. उप सचिव, (स्थापन/अधीक्षण) सा०प्र०वि० मंत्रालय भोपाल,
 - 9. लेखाधिकारी, म०प्र० मंत्रालय भोपाल,
 - 10. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, म०प्र० भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


26/7/07

(मो० ज़फर कुरैशी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


सामान्य प्रशासन विभाग

पू०क्र०.एफ-5-5/2007/1/4

भोपाल दिनांक 26 जुलाई 2007
27

प्रतिलिपि:

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन भोपाल,
 2. प्रमुख सचिव, म०प्र० विधानसभा भोपाल,
 3. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर,
 4. सचिव लोकायुक्त कार्यालय म०प्र० भोपाल
 5. सचिव राज्य निर्वाचन/अल्पसंख्यक/मानव अधिकार आयोग भोपाल,
 6. सचिव, म०प्र० लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
 7. निज सचिव/निज सहायक माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन,
 8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
 9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म०प्र० जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
 10. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म०प्र० भोपाल,
 11. महालेखकार म०प्र० भोपाल/ग्वालियर,
 12. रीजनल मैनेजमन्ट रिजर्व बैंक आफ इंडिया, प्रधान कार्यालय भोपाल,
 13. स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी भोपाल,
 14. आयुक्त, जनसम्पर्क भोपाल,
 15. मुख्य सचिव के अपर सचिव मंत्रालय भोपाल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु अग्रेषित ।


(मो० ज़फर कुरेशी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास,


मध्यप्रदेश

पू० क्रमांक/स्था-3/2007/

भोपाल, दिनांक 8-07

प्रतिलिपि:-

- 1/ समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश.
- 2/ समस्त अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल.
- 3/ समस्त उपायुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल.
- 4/ समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला सयोजक, आदिवासी जाति कल्याण को सुचनार्थ तथा जिलों के समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को सरकुलेट करने हेतु ।


अपर आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ-5-5/2007/1/4
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2007
27

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- प्रदेश में 15 अगस्त 2007 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन
बाबत ।

राज्य शासन ने 15 अगस्त 2007 को प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस निम्नानुसार
मनाने का निर्णय लिया है :-

1. स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रातः 9.00 बजे से प्रारम्भ किया जायेगा ।
2. जिला, जनपद पंचायत, पंचायत मुख्यालयों पर कार्यक्रम निम्नानुसार होंगे:-
 - (अ) जिला स्तर पर विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मंत्री/राज्य मंत्री/कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा । जिलेवार सूची पृथक से प्रेषित की जायेगी । राष्ट्रीय गान गाया जाये । पुलिस होम गार्ड, एन.सी.सी., एस.ए.एफ इत्यादि द्वारा परेड आयोजित की जाये । मुख्य अतिथि द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के सदेश का वाचन किया जाये ।
 - (ब) जनपद पंचायत मुख्यालय पर जनपद अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये तथा राष्ट्रीय गान गाया जाये ।
ऐसी नगर पालिका/नगर पंचायत जिनका मुख्यालय ब्लाक मुख्यालय पर नहीं है उनमें अध्यक्ष नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये ।
 - (स) पंचायत मुख्यालय में सरांच द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये और राष्ट्रीय गान गाया जाये ।

3. सभी सार्वजनिक भवनों पर झंडा फहराया जायेगा । विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को एकत्रित कर अपने कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेगें तथा राष्ट्रीय गान गाया जायेगा ।

स्वतंत्रता
काम्यारि
अस
कलम

26/14
18/07

वि.म.
श्री.म.
38/1

मि-8-073
क्र. प्रा. 3-20 अ. 1

4. शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ-साथ राष्ट्रीय गान का गायन तथा सांस्कृतिक साहित्यिक मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किये जायें। सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा मौसम का ध्यान रखते हुए प्रातः काल प्रभात फेरी का आवश्यक रूप से आयोजन किया जाये।

5. कालेज/स्कूली खेल कूद अन्य प्रकार के कौशलों का प्रदर्शन अन्तर्विद्यालय, अन्तर्महाविद्यालय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं, 15 अगस्त के महत्व पर चुने हुए छात्र-छात्राओं द्वारा वार्ता, राष्ट्रीय एकता, लघु बचत जनसंख्या स्थिरीकरण स्वच्छता अभियान एवं इनामो/प्रमाण पत्रों/मेडल का वितरण इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित किए जायें।

6. स्कूल/कालेजों में जिला/संभाग एवं राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एकता की समूह गान प्रतियोगिता आयोजित की जाये।

7. विभिन्न समारोहों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) का उपयोग किया जाता है और उस पर गानों के रिकार्ड बजाये जाते हैं तो गानों का चयन सुरुचिपूर्ण और समयोचित होना चाहिए।

8. 15 अगस्त 2007 को एक दिन के लिए प्रदेश में स्थित मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों में ही रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाये।

9. विभिन्न समाचार पत्रों में स्वाधीनता दिवस पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की तस्वीरों एवं संदेशों पर केन्द्रित किया जाये एवं विज्ञापनों को इस प्रकार नियोजित किया जाये कि 15 अगस्त 2007 को प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रायः सभी विभिन्न शहीदों तथा विशेष रूप से मध्यप्रदेश के शहीदों के सम्बन्ध में संदेश प्रचारित हो।

10. मुख्य कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एवं शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाये एवं उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लाने की व्यवस्था भी की जाये।

(डी०एस०राय)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग